[2020] 4 एस सी आर 269 ए

ए.

सोनू @सुनील

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (2013 की आपराधिक अपील No.57) 29 मई, 2020

बी.

[संजय किशन कौल और के**.** एम**.** जोसेफ**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:एसएस।394, 460, 302 आर/डब्ल्यू एस।34 – डकैती और हत्या-अपीलार्थी सहित पाँच अभियुक्त-परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला-अभियोजन का मामला यह था कि पीड़ित-मृतक अपने घर में अकेला रहता था-9.9.2008 पर, मृतक का बेटा (PW -9) जानकारी मिली कि उसके पिता ने उस दिन दरवाजा नहीं खोला था-पीडब्लू-9 अपने पिता के आवास पर गया और उसे मृत पाया-मृतक के घर की अलमारी से कुछ सामान गायब थे-जांच के आधार पर, चार अभियुक्तों और अपीलार्थी पर डकैती और हत्या के अपराध का आरोप लगाया गया-अपीलार्थी पर एस के तहत आरोप लगाया गया।397 और एसएस के तहत।11 और मध्य प्रदेश के 13 एडजिनियम ने भी-सह-अभियुक्त से चाकू और अन्य मूल्यवान वस्तुएं बरामद की गईं-अपीलार्थी को घटना के दो महीने बाद गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था-नीचे की अदालतों ने पीडब्लू-5 के साक्ष्य पर भरोसा किया जिसने कथित रूप से मृतक के घर में डकैती करने की साजिश के संबंध में पांच अभियुक्तों के बीच बातचीत सुनी-अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराना-अपील पर कहा गयाःअपीलार्थी , अन्य लोगों के साथ, एस की सहायता से अपराधों के तहत आरोपित किया गया था।34 – आम इरादा उसी अपराध के लिए होना चाहिए जिसके लिए आरोपी पर आरोप लगाया गया है-इस मामले में निचली विचारण न्यायालय का निष्कर्ष यह था कि डकैती करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई थी-हालांकि गला घोंटकर मौत का कारण बनने का आरोप था, निष्कर्ष यह था कि मौत चाकू से लगी चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी-चाकू, जाहिरा तौर पर, सह-आरोपी द्वारा ले जाया गया था और इस्तेमाल किया गया था-वास्तव में, चाकू की बरामदगी भी सह-आरोपी से प्रभावित थी-इस प्रकार, अपीलार्थी का अपराध केवल मोबाइल फोन की बरामदगी पर आधारित था जहां बरामदगी ही संदेह और संदेह से ग्रस्त थी-अपीलार्थी से बरामद मोबाइल लापता और मोबाइल की संख्या के बारे में विसंगति थी-पीडब्लू-5 ने नाम नहीं लिया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

269

270 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 4 एस. सी. आर.

परिस्थितियां पूर्ण थीं-अपीलार्थी का उल्लेख मृतक के पिता से मिलने जाने वाले व्यक्तियों में से एक के रूप में नहीं किया गया था, हालांकि अन्य तीन अभियुक्तों का नाम लिया गया था-इसके अलावा, कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी-इस प्रकार, अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है-अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त करना दिया गया-मध्य प्रदेश दकैती अवम व्यापरन अधिनियम, 1981-एस.11 और 13-साक्ष्य अधिनियम, 1872 -s.114।

बी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** अभियुक्त व्यक्ति से किसी वस्तु की बरामदगी के मामले में जब उस पर चोरी के अलावा अन्य अपराध करने का भी आरोप लगाया जाता है **(**इस मामले में हत्या**),** तो परीक्षण इस प्रकार हैं:सबसे पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि चोरी और हत्या एक लेनदेन का हिस्सा है।परिस्थितियों से संकेत मिल सकता है कि चोरी और हत्या एक ही समय में की गई होगी।लेकिन यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं है कि चोरी की गई संपत्ति पर कब्जा करने वाला व्यक्ति हत्यारा था**;** चोरी की गई वस्तु की प्रकृति**;** मालिक द्वारा इसके अधिग्रहण का तरीका**;** इसकी पहचान के बारे में साक्ष्य की प्रकृति**;** जिस तरीके से आरोपी द्वारा इससे निपटा गया था**;** इसकी वसूली का स्थान और परिस्थितियाँ**;** बीच की अवधि की अवधि**;** आरोपी की अपने कब्जे की व्याख्या करने की क्षमता या अन्यथा।इस मामले में**,** परीक्षणों को लागू करते हुए**,** यह पाया जाता है कि अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह मोबाइल के कब्जे से कैसे आया।दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973** की धारा **313** के तहत पूछताछ में उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है**;** जहां तक बीच की अवधि का संबंध है**,** वसूली **02.11.2008** पर की गई थी**,** जबकि घटना की तारीख **08.09.2008** है।इसका मतलब है**,** दो महीने से भी कम का अंतराल।अपीलार्थी की गिरफ्तारी वसूली से एक दिन पहले यानी आई**.** डी**. 1** पर की गई थी**;** जहां तक वस्तु की प्रकृति का संबंध है**,** यह एक मोबाइल फोन था जिसे केवल डिलीवरी द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें एक सिम होगा जो फोन को पिछले मालिक या कब्जे वाले व्यक्ति से जोड़ सकता है।हालाँकि**,** यह भी आम जानकारी है कि यह उस व्यक्ति के लिए खुला हो सकता

है, जिसके पास मोबाइल है, वह इसे एक नए सिम से लैस कर सकता है।यह विवाद में नहीं है कि दोनों मोबाइल फोन रखे गए थे और वे किसी भी अन्य समान दिखने वाले मोबाइल फोन के साथ मिश्रित नहीं थे।**[**पारस **28,29] [290-**डी**-**एच**; 291-**ए**-**ई**]** ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

271

सोनू @सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए

बैजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए**.** आई**.** आर **1978** एस**.** सी**. 522:[1978] 2** एससीआर **594;** श्री भगवान बनाम राजस्थान राज्य

आकाशवाणी **2001** एससी **2342:[2001] 3** एस**.** सी**.** आर**. 656-**निर्भर।

1.2 अपीलार्थी और अन्य पर आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **34** की सहायता से अपराधों के तहत आरोप लगाए गए थे। इस मामले में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष है कि डकैती करने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी।जहाँ तक धारा **34** का संबंध है, यह प्रत्यावर्ती आपराधिक दायित्व के सिद्धांत की घोषणा करता है।धारा की आत्मा, और वह सिद्धांत जो उसमें किसी अन्य के कार्यों के लिए आपराधिक दायित्व को रेखांकित करता है, एक अपराध करने का साझा इरादा या सामान्य इरादा है।साझी मंशा उसी अपराध के लिए होनी चाहिए जिसके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है।इस मामले में, कि हालांकि गला घोंटकर मौत का कारण बनने का आरोप है, निष्कर्ष यह है कि मौत चाकू से लगी चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी।चाकू, जाहिरा तौर पर, सह-अभियुक्त द्वारा ले जाया गया और इस्तेमाल किया गया था। उससे, वास्तव में, चाकू की बरामदगी भी की गई थी, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने का और अधिक कारण बन जाता है कि अपीलार्थी को उन आरोपों के लिए दोषी ठहराना पूरी तरह से असुरक्षित होगा, जिनके लिए वह दोषी पाया गया है, जिसमें आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **302** भी शामिल है, जो केवल मोबाइल फोन की बरामदगी पर आधारित है, जहां बरामदगी ही संदेह और संदेह से ग्रस्त है।इस प्रकार, इस मामले में, जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, उसके खिलाफ साक्ष्य में अनिवार्य रूप से मोबाइल फोन की बरामदगी शामिल है और संख्या के बारे में विसंगति है।पीडब्लू**5** ने अपीलार्थी का नाम नहीं लिया है।अनिवार्य रूप से पीडब्लू**5** के

साक्ष्य और वसूली पर यह मानने के लिए भरोसा किया जाता है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो गई है।अपीलार्थी का उल्लेख उन व्यक्तियों में से एक के रूप में नहीं किया गया है जो मृतक के पिता से मिलने जाते थे**,** हालांकि अन्य तीन अभियुक्तों का नाम लिया गया था। अभियुक्त के लिए कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी।इस मामले के तथ्यों में**,** अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं होगा।वह संदेह के लाभ का हकदार होगा।**[**पैरा **30,34,35] [291-**एफ**-**एच**; 292-**ए**-**बी**; 294-**डी**-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

हरदेव सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1975** एस**.** सी**. 17;** अरुण बनाम राज्य**,** पुलिस निरीक्षक**,** तमिलनाडु द्वारा

(2008) 15 एससीसी 501:[2008] 17 एस. सी. आर. 279; धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य (1978) 4 एस. सी. सी. 440:बृजलाल पी. डी. सिन्हा बनाम बिहार राज्य (1998) 5 एससीसी 699:[1998] 3

एच.

एससीआर **529;** गिरिजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2004) 3** एससीसी

793 :[2004] 2 एस**.** सी**.** आर**. 73-**पर निर्भर।

आशीष जैन बनाम मकरंद सिंह और अन्य **(2019) 3** एस**.** सी**.** सी**. 770:[2019] 1** एस**.** सी**.** आर**. 345;** सुंदर लाल उर्फ सुंदरा बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1954** एस**.** सी**. 28;** सनवंत खान और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1956** एस**.** सी**.**

बी.

54 – संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

[2019] 1 एससीआर **345**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

आकाशवाणी **1954** एससी **28**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

सी.

ए**.** आई**.** आर **1956** एस**.** सी **54**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

[1978] 2 एससीआर **594**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **25**

[2001] 3 एससीआर **656**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **26**

ए**.** आई**.** आर**. 1975** एस**.** सी**. 17**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **30**

डी.

[2008] 17 एससीआर **279**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **30**

(1978) 4 एससीसी **440**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **31**

[1998] 3 एससीआर **529**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **32**

ई.

[2004] 2 एससीआर **73**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **33**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2013 की आपराधिक अपील संख्या 57।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 21.02.2012 से, 2011 की आपराधिक अपील संख्या 455 में ग्वालियर की पीठ।

एफ.

अनुकुलचंद्र पधन, वरिष्ठ अधिवक्ता, मो. फरमान, सलमान खान, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

आर. के. राठौर, हर्ष पराशर, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

जी.

न्यायालय का निर्णय ए द्वारा दिया गया था

एच.

273

सोनू @सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए

के**.** एम**.** जोसेफ**,** जे**.**

1. अपीलार्थी पर 4 अन्य लोगों के साथ मुकदमा चलाया गया और उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 (इसके बाद संक्षेप में 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) सहपठित धारा 394,460 और 302 के तहत दोषी ठहराया गया।उन्हें मध्य प्रदेश दकैती अवम व्यापरण अधिनियम, 1981 (इसके बाद 'मध्य प्रदेश अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 11 और 13 के तहत अपराधों का भी दोषी पाया गया था।वास्तव में, अपीलार्थी को दो अन्य अभियुक्तों के साथ आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित धारा 302 के तहत अपराध के लिए मौत की

सजा सुनाई गई थी। 5000/-।उन्हें आई. पी. सी. की धारा 460 के तहत अपराध के संबंध में 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित धारा 394 के तहत अपराध के लिए 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी। इसके अलावा, उन्हें मध्य प्रदेश अधिनियम की धारा 11 और 13 के तहत अपराध के लिए 7 साल की सजा भी सुनाई गई थी।विवादित फैसले के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने मौत के संदर्भ का जवाब देते हुए कहा कि परिस्थितियों में, मौत की सजा की आवश्यकता नहीं थी।मृत्युदंड के स्थान पर, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी और दो अन्य अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माने को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया। 25, 000/-।अपीलार्थी द्वारा दायर अपील अन्यथा खारिज कर दी गई थी।अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार प्रतीत होता हैः08.09.2008 की रात को, भारोसीलाल (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित, संक्षेप में) अपने गाँव बिलौआ में थे।वह अकेला रह रहा था।अभय शर्मा-पीडब्लू9, जो मृतक का बेटा है, को नीरज भार्गव ने बताया कि उसके पिता ने उस दिन दरवाजा नहीं खोला है।ऐसी जानकारी मिलने पर, पीडब्लू9, जो शिकायतकर्ता भी निकला, आखिरकार अपने पिता के आवास पर गया और पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और 10.09.2008 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज की गई थी।की गई जाँच के आधार पर, कली, हरिओम, वीरू, विरेंद्र और अपीलार्थी पर अपराधों का आरोप लगाया गया जैसा कि देखा गया।वास्तव में, अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत भी आरोप लगाया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

2. पी. डब्ल्यू. 1 से पी. डब्ल्यू. 15 तक की अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में जांच की गई। भौतिक वस्तुओं का भी उत्पादन किया जाता था।निम्नलिखित प्रश्न हैं, जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा तैयार किया गया थाः

एच.

“(i) क्या आरोपी कली उर्फ गोपाल शर्मा, सोनू उर्फ सुनील और हरिओम ने घटना की तारीख को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले मृतक भारोसीलाल के आवासीय घर में हाउस ट्री पास करने के बाद भारोसीलाल की हत्या की थी?((ii) क्या आरोपी कली उर्फ गोपाल शर्मा, सोनू उर्फ सुनील और हरिओम का भरोसीलाल की हत्या करने का साझा इरादा था?

बी.

(iii) क्या आरोपी कली उर्फ गोपाल शर्मा, हरिओम और सोनू उर्फ सुनील ने अपने सामान्य इरादे को पूरा करने के लिए भरोसीलाल की गला घोंटकर और चाकू से काटकर हत्या कर दी?

सी.

(iv) क्या आरोपी कली उर्फ गोपाल शर्मा, हरिओम और सोनू उर्फ सुनील ने डकैती करने में घातक हथियार का उपयोग करके भारोसीलाल की हत्या की और भारोसीलाल के कब्जे से बने सोने-चांदी के गहने और नोकिया के दो मोबाइल फोन लूट लिए?

डी.

(v) क्या आरोपी वीरू और विरेंद्र के साथ आरोपी कली उर्फ गोपाल शर्मा, हरिओम और सोनू उर्फ सुनील ने आरोपी विरेंद्र सिंह के घर पर, कुश्मा ने भरोसीलाल के घर में लूटपाट करने की साजिश रची?((vi) क्या अभियुक्त व्यक्तियों ने एम. पी. डी. वी. पी. के. अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत परिभाषित और निर्दिष्ट अपराध किया है और उपरोक्त अधिनियम की धारा 1 के तहत अपराध किया है?”3. विचारण न्यायालय ने पाया कि यह मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था।यह देखा गया कि मृतक को निम्नलिखित चोटें आई थीं:

ई.

एफ.

“चोट संख्या 1

दाहिनी ओर 6x 1.5x1 सी. एम. से तराशा गया

ठोड़ी।

चोट संख्या 2

1 सेमी से नीचे 4 x 1 1⁄2 सेमी का घाव

चोट से नं।1.

जी.

चोट संख्या 3

बाईं भुजा पर 6 x 3 x 2 सेमी का घाव

पूर्ववर्ती मध्य।

चोट संख्या 4

6 x 1 x 1 सेमी का घाव, केवल 2 सेमी नीचे

चोट नं।3.

एच.

275

सोनू @सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

चोट संख्या 5

6 x 1 x 1 सेमी का घाव, केवल 2 सेमी नीचे

चोट नं।4.

चोट संख्या 6

पेट पर घाव 3 "नीचे

पेरीटोनियम तक गहराई में 3 x 2 x मापना, घाव से बाहर निकलने वाली आंत का हिस्सा।"4. मौत का कारण कई घावों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमे और रक्तस्राव पाया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के 36 घंटे के भीतर मौत हो गई।पोस्टमॉर्टम 10.09.2008 पर किया गया था।इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि यह हत्या थी और यह हत्या करने के इरादे से की गई थी। विचारण न्यायालय ने आगे पता लगाया कि कुछ सामान उस घर की अलमारी से गायब पाए गए थे जहां मृतक रहता था।पीडब्लू8 मृतक की पत्नी है।पी. डब्ल्यू. 9, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, मृतक के बेटों में से एक है।पीडब्लू13 ने सोने और चांदी के आभूषणों और मोबाइल फोन की पहचान की, जो उनके अनुसार मृतक के थे।चिन्हित वस्तुएँ मृतक की थीं।चांदी से बनी एक हसली (हार), एक जोड़ी झुमके और दो मोबाइल फोन की पहचान की गई। अभियुक्त का यह तर्क कि पहचान की कार्यवाही करने वाले पीडब्लू 13 ने बयान दिया कि उस समय एक पुलिस अधिकारी मौजूद था, यह निष्कर्ष निकालकर खारिज कर दिया गया कि पहचान ज्ञापन-प्रदर्शनी पी 21 से यह स्पष्ट था कि कार्यवाही की पहचान के समय कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था।न्यायालय ने पीडब्लू8 और पीडब्लू9 के साक्ष्य पर भी भरोसा किया, जिन्होंने पहचान की कार्यवाही के समय पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति के बारे में नहीं बताया था।पी. डब्ल्यू. 9 के साक्ष्य और पी. डब्ल्यू. 8 के साक्ष्य का भी उल्लेख किया गया, यह पता लगाने के लिए कि पुलिस दरवाजा खोलने आई थी।इसे खोला गया और यह देखा गया कि

अलमारी खोली गई थी और सामान/सोने के सामान बिखरे हुए थे, और उक्त सामानों में से चांदी से बनी एक हसली (हार), सोने की बालियों की एक जोड़ी और दो मोबाइल फोन गायब थे। पीडब्लू3-एक अन्य बेटे के साक्ष्य पर यह पता लगाने के लिए भरोसा किया गया कि पीडब्लू5 ने सभी अभियुक्तों के बीच बातचीत सुनी थी, जिसका प्रभाव यह था कि मृतक अकेला रह रहा था और वे उसके घर में लूटपाट करने की योजना बना रहे थे।इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय ने यह भी देखा कि पीडब्लू1, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त बातचीत को साबित करने के लिए उद्धृत किया गया था, मुकर गया।पीडब्लू3 ने यह भी बयान दिया था कि उसे पीडब्लू5 ने आरोपी के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया था।पीडब्लू3 के साक्ष्य से पता चलता है कि विरेंद्र और वीरू दोनों अपने पिता और पिता के शरीर की मालिश करने आते थे

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

कहा करते थे कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी।पी. डब्ल्यू. 3 ने न्यायालय में मौजूद आरोपी विरेंद्र, वीरू और कली के साथ अपनी परिचितता के बारे में गवाही दी।मृतक के एक अन्य बेटे पीडब्लू 6 ने अपदस्थ किया है कि कली अपने गाँव में घी बेचने आता था और मृतक के साथ बैठकर बात करता था और अपने पिता के शरीर की मालिश करता था।निचली न्यायालय ने पाया कि वीरू, विरेंद्र और कली आते थे और वे मृतक और उसके परिवार के सदस्यों से भी परिचित थे। इसके बाद, विचारण न्यायालय ने वस्तुओं की बरामदगी का भी उल्लेख किया।हरिओम से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।कली से अपराध करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छुड़ी (चाकू) बरामद की गई।अपीलार्थी से नोकिया कंपनी का एक अन्य मोबाइल फोन, मॉडल 5110, काले रंग का, जिस पर लाल स्याही में 97321820 नंबर लिखा था, भी जब्त कर लिया गया।पीडब्लू9 के साक्ष्य पर भरोसा किया गया था जिसमें उन्होंने गवाही दी थी, कि एक नोकिया मोबाइल जिस पर अंग्रेजी में बी. एल. लाल निशान के साथ लिखा गया था, और उसी

की बैटरी पर लाल स्याही में संख्या 97321820 लिखी गई थी, चोरी हो गई थी।अभियुक्त विरेन्द्रसँ हसली (हार) बरामद कयल गेल।वीरू से सोने की एक जोड़ी झुमके जब्त किए गए।उसी के आधार पर, यह पाया गया कि चोरी की गई संपत्ति और हथियार आरोपी के बयान पर जब्त कर लिए गए हैं, और इन परिस्थितियों ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा किया है। रिलायंस को पीडब्लू5 द्वारा अभिसाक्ष्य पर रखा गया था, जिसने आपराधिक साजिश के बारे में अभियुक्तों के बीच बातचीत सुनी थी।पी. डब्ल्यू. 7, अपीलार्थी -प्रदर्शनी पी. 13 के वसूली बयान का एक गवाह और पी. डब्ल्यू. 12-पुलिस निरीक्षक, जिसने अपीलार्थी को गिरफ्तार किया था, के साक्ष्य पर भी भरोसा किया गया है ताकि बयान को साबित किया जा सके जिससे अपीलार्थी से मोबाइल की बरामदगी हुई।निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान दिया जा सकता हैः

बी.

सी.

डी.

ई.

"उपरोक्त विश्लेषण से यह साबित होता है कि आरोपी व्यक्तियों के बीच मृतक के घर में चोरी या लूट करने की आपराधिक साजिश है, आरोपी हरिओम के ज्ञापन बयान के आधार पर, लूटा गया मोबाइल आरोपी हरिओम के कब्जे से बरामद/जब्त किया जाता है।आरोपी सोनू उर्फ सुनील के ज्ञापन बयान के आधार पर और उसके द्वारा लूटे गए मोबाइल नोकिया को आरोपी सोनू उर्फ सुनील से जब्त कर लिया जाता है।इसी तरह आरोपी विरेंद्र के आधार पर आरोपी विरेंद्र के कब्जे से चांदी से बनी एक पुरानी और इस्तेमाल की गई हसली (हार) जब्त की जाती है।ए पर

एफ.

जी.

एच.

277

सोनू @सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

आरोपी वीरू के आधार पर और उसके द्वारा लूटी गई संपत्ति यानी एक जोड़ी झुमके को पुलिस द्वारा आरोपी वीरू के कब्जे से जब्त कर लिया जाता है।रुक्मिणी (पीडब्लू-8) और अभय कुमार शर्मा (पीडब्लू-9) ने पहचान की कार्यवाही में लूटी गई सभी चार संपत्तियों यानी दो मोबाइल फोन, एक हसली (हार) और एक जोड़ी सोने की बालियों की पहचान की है और उन्होंने स्वीकार किया है कि वे उन्हीं की हैं।ये सभी परिस्थितियाँ अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करती हैं।अभियुक्त व्यक्तियों ने इसके खंडन में कोई सबूत पेश

नहीं किया है।बचाव पक्ष ने इस तथ्य की व्याख्या नहीं की कि लूटी गई संपत्ति और अपराध के हथियार इस स्थिति में उनके कब्जे से बरामद किए गए हैं।आरोपी व्यक्तियों ने मृतक के घर में लूटपाट करने की आपराधिक साजिश रची, आरोपी कली उर्फ गोपाल शर्मा, हरिओम और सोनू उर्फ सुनील ने मृतक के घर में सूरज उगने से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश करके मृतक की हत्या कर दी।

बी.

सी.

आपराधिक साजिश और उसी की पूर्ति में और आरोपी कली उर्फ गोपाल शर्मा, हरिओम, सोनू उर्फ सुनील से अपराध के हथियार और लूटी गई संपत्ति की जब्ती से और बचाव पक्ष की ओर से इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो यह माना जाएगा कि आरोपी कली उर्फ गोपाल, सोनू उर्फ सुनील और हरिओम ने सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद मृतक के घर में प्रवेश करके लूटपाट की है और उक्त लूट को अंजाम देते हुए मृतक भरोसीलाल शर्मा की चाकू से घायल करके हत्या कर दी है।क्योंकि लूट करने के समय तीनों आरोपी व्यक्ति कली उर्फ गोपाल, हरिओम और सोनू उर्फ सुनील घटना स्थल पर मौजूद थे, तीनों ने लूट भी की है और उक्त लूट को अंजाम देने में मृतक भरोसीलाल की हत्या की गई है, इससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाता है कि आरोपी व्यक्तियों कली उर्फ गोपाल, हरिओम और सोनू उर्फ सुनील के बीच मृतक भरोसीलाल की हत्या करने की समान मंशा थी।इसलिए, आरोपी कली @गोपाल, हरिओम और सोनू @सुनील के खिलाफ अपराध यू/एस 460/302/34 उचित संदेह से परे साबित होता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

जहां तक आरोपी कली उर्फ गोपाल, हरिओम और सोनू उर्फ सुनील के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 397/34 के तहत अपराध का सवाल है, अपराध में इस्तेमाल चाकू केवल आरोपी कली उर्फ गोपाल शर्मा से जब्त किया गया है, उसी से यह स्पष्ट है कि उस समय

एच.

घटना में इस्तेमाल की गई एक छुरी, जो घातक और तेज धार वाली थी, आरोपी कली @गोपाल शर्मा के पास थी।" (जोर दिया गया) 5.अपीलार्थी को हरिओम के साथ आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित धारा 394 के तहत अपराध का दोषी पाया गया, जबकि कली के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 397 साबित हुई। विचारण न्यायालय ने कली को आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित धारा 397 के तहत दोषी पाया। अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित धारा 302 के तहत भी दोषी ठहराया गया था। इसके बाद, यह भी पाया गया कि अपीलार्थी और अन्य लोग मध्य प्रदेश अधिनियम की धारा 11 और 13 के तहत अपराधों के दोषी थे, जो अन्यथा साबित हुए अपराधों के आधार पर थे।

बी.

सी.

6. उच्च न्यायालय ने अपील में यह पाया कि निचली अदालत के समक्ष ग्यारह परिस्थितियाँ सामने आईं:

आई. लूट के संबंध में घटना 08.09.2008 पर मृतक के घर में अंदर से दरवाजे बंद करने के बाद हुई जो अकेला रह रहा था।

डी.

ii.कि पोस्टमॉर्टम अभियोजन मामले की पुष्टि करता है।यह पाया गया है कि यह स्वाभाविक है कि 09.09.2008 पर जब मृतक दिखाई नहीं दे रहा था और दरवाजा खटखटाने पर जवाब नहीं दे रहा था, तो नीरज भार्गव ने पीडब्लू9 को सूचित किया कि वह जवाब नहीं दे रहा था। पीडब्लू9 और पीडब्लू8 मृतक के कल्याण के बारे में जानने के लिए उस स्थान पर रवाना हुए।

ई.

iii.पीडब्लू9 के अनुरोध पर, उनके पड़ोसी-फूलचंद सीढ़ियों से चढ़ गए और उन्होंने मृतक को खून से लथपथ पाया और वह मृत पड़ा हुआ था।वह रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बिलौआ पुलिस स्टेशन गया जो लगभग 11 बजे दर्ज की गई थी:30 रात में पी. एम.उसी दिन शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और 10.09.2008 की शाम को प्राथमिकी दर्ज की गई।

एफ.

iv.10.09.2008 पर, अशोक कुमार (PW3) ने अपने केस डायरी स्टेटमेंट में खुलासा किया कि सेल फोन नंबर 9406586386, जो आमतौर पर उनके पिता द्वारा उपयोग किया जाता था, भी गायब पाया गया था।मृतक के बेटे द्वारा उपलब्ध कराया गया एक अन्य सेल फोन नंबर 9928120429 भी लापता पाया गया।

जी.

5. जांच पीडब्लू15 द्वारा की गई थी और शुरू में हमलावरों के नाम उस समय तक निर्धारित नहीं किए गए थे।

एच.

279

सोनू @सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

vi.पीडब्लू15-(पीडब्लू14) के उत्तराधिकारी ने बाद में जांच की।गवाहों के बयान दर्ज किए गए, साइबर सेल से चोरी किए गए मोबाइल सेटों का कॉल विवरण प्राप्त किया गया।18.10.2008 पर उसे साइबर सेल से हमलावरों के नाम पता चले।दो दिनों के भीतर, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई।, कली, हरिओम, परिहार, विरेंद्र कच्छी और वीरू।आरोपी कली के पास से चूड़ी (चाकू), विरेंद्र के पास से एक हार, वीरू के पास से सोने की एक जोड़ी झुमके जब्त किए गए।

बी.

vii.अभियुक्तकेँ जाँचक निष्क्रियताक लेल लाभ नहि भेट सकैत अछि।

सी.

viii.डी. पी. शर्मा-पीडब्लू12 ने <आईडी1 पर अपीलार्थी को गिरफ्तार किया और उसके पास से सिम संख्या 97321820 वाला एक मोबाइल फोन बरामद किया।

ix.चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृतक को आरोपी या उनमें से किसी एक ने मार डाला था।मृतक के शरीर पर देखे गए घावों की प्रकृति को देखते हुए, मृत्यु हत्या प्रतीत होती है।

डी.

x. 18.10.2008 से 02.11.2008 के बीच जब्त/बरामद की गई संपत्तियों की पहचान 10.12.2008 पर की गई थी, जिसे विलंबित नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिन व्यक्तियों ने वस्तुओं की पहचान की है, वे ग्वालियर के निवासी थे।xi. घटना का मकसद स्पष्ट है।यह लूट/चोरी करने के लिए प्रतिबद्ध था, और चोरी की घटना के दौरान, मृतक को आरोपी द्वारा मार दिया गया था।

ई.

एफ.

7. हमने अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को भी सुना है।विद्वान वरिष्ठ वकील शिकायत करेंगे कि अपीलार्थी को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसके लिए उसे दोषी पाया गया है।उन्होंने

शिकायत की कि अदालत ने पीडब्लू-5 पर भरोसा रखने में गलती की है, जिसने कथित तौर पर पांच अभियुक्त व्यक्तियों के बीच बातचीत को उनमें से एक के घर के बाहर खड़े होकर सुना था। वह बताता है कि गवाह पर विश्वास नहीं किया जा सकता था।यह इंगित किया गया है कि पीडब्लू-1, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त बातचीत को साबित करने के लिए उद्धृत किया गया था, ने उस संस्करण का पालन नहीं किया है जिसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया था।यह अत्यधिक असंभव है कि पीडब्लू-5 ने ऐसी किसी भी बातचीत को सुना होगा।उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन की वसूली के संबंध में एक स्पष्ट विसंगति

अपीलार्थी ।मोबाइल फोन की कथित बरामदगी से संबंधित ज्ञापन में, जो कहा गया है वह यह है कि अपीलार्थी ने मृतक के नोकिया का एक मोबाइल फोन बनाया और उसे अपने घर की छत पर छिपा दिया।जब्ती ज्ञापन निम्नलिखित का खुलासा करता है कि क्या बरामद किया गया था:“

एस. नं.	पी रोपर्टी	पैकेट या संपत्ति पर प्राप्त हस्ताक्षर
1	नोकिया कंपनी का एक काले रंग का पुराना और इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन, मॉडल संख्या 5110 एफ अंतर्देशीय सीई 0188 एक्स नंबर में बनाया गया है। 490541/30/26 305416 लिखा हुआ है। कोड संख्या 0502182 लिखी गई है। मोबाइल पर लाल	

	स्याही में बी. एल. लिखा होता है और इसकी बैटरी पर एन. ओ. लिखा होता है। 97321820 लाल स्याही से लिखा गया है। (कुछ हिस्सा खराब नहीं है)।	

सी.

’’

8. तब वह इंगित करेंगे कि उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों के पाठ में पाया है कि एक सेल फोन नंबर 9928120429 गायब पाया गया था, और फिर वह आठवीं परिस्थिति की ओर इशारा करता है, जो अदालत द्वारा नोट की गई है, वह है कि एक मोबाइल फोन, जिस पर सिम नंबर 97321820 है, अपीलार्थी से बरामद किया गया था।इसलिए, अपीलार्थी से जब्त किया गया फोन वह फोन नंबर नहीं था जिसका उल्लेख मृतक के बेटे पीडब्लू-3 ने किया था, जैसा कि उसके पिता द्वारा उपयोग किया जा रहा था।उन्होंने आगे परिसर में पाए गए रहस्यमय मैक्सी के बारे में बताया।इस संबंध में, हम विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान दे सकते हैंः

डी.

ई.

“बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि खून से सना हुआ और सफेद रंग का बिना बाजू वाला मैक्सी जिसमें भूरे रंग की रेखाएं होती हैं, उसी का निचला हिस्सा खून से सना होता है और उसी का उपयोग पुलिस द्वारा घटना स्थल से एक्स पी-6 द्वारा जब्त किया जाता है, जबकि घटना स्थल पर कोई महिला मौजूद नहीं थी।ऐसी स्थिति में घटना स्थल से मैक्सी की जब्ती के कारण घटना के समय किसी महिला की उपस्थिति साबित होती है, लेकिन वह महिला कौन थी, अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया, इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध है।केवल घटना स्थल से खून से सना मैक्सी की बरामदगी/जब्ती अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध नहीं बनाती है।मृतक की कमीज पर मानव रक्त पाया गया और उक्त मैक्सी पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैक्सी पर किसी अन्य व्यक्ति का रक्त था।क्योंकि मृतक रुक्मिणी शर्मा की पत्नी जीवित है और रुक्मिणी शर्मा (पीडब्लू-8) ने अपने क्रॉस ए में प्रवेश लिया है।

एफ.

जी.

जाँच करें कि वह कभी-कभी बिलौआ में घर/घटना स्थल पर जाती थी।इस स्थिति में जहां घर में मृतक की पत्नी की मुलाकात होती है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त मैक्सी मृतक की पत्नी की होगी।इस स्थिति में घटनास्थल से मैक्सी की जब्ती से घटना संदिग्ध नहीं हो सकती थी।"

बी.

9. वह इंगित करेंगे कि जाँच अधिकारी ने स्वीकार किया कि उन्होंने मैक्सी के संबंध में कोई जाँच नहीं की थी।वह आगे तर्क देगा कि जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, उसे अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है।अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार भी सबूत बताते हैं कि अन्य आरोपी, अर्थात्।, वीरू, विरेंद्र और कली, अभियोजन पक्ष के गवाहों के लिए ऐसे व्यक्तियों के रूप में जाने जाते थे जो मृतक के घर अक्सर जाते थे।जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, ऐसा कोई सबूत नहीं है।संक्षेप में, तर्क यह है कि मामला वह है जिसमें अपीलार्थी को बिना किसी सबूत के दोषी ठहराया जाता है और अन्याय को सही ठहराया जा सकता है।

सी.

डी.

10. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने फैसले का समर्थन विद्वान ।

11. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 340,302 के सहपठित आई. पी. सी. की धारा 34 और आई. पी. सी. की धारा 34 के सहपठित धारा 394 के तहत दोषी ठहराया गया है। यह अपीलार्थी को मध्य प्रदेश अधिनियम की धारा 13 और 14 के तहत दोषी ठहराने के अलावा है।मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है।यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा ग्यारह परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है, परिस्थितियां संख्या 2 और 3 अभियोजन पक्ष के संस्करण से संबंधित हैं कि मृतक की मृत्यु की खोज उसके बेटे और उसकी पत्नी द्वारा की गई थी।वे उनके निवास स्थान पर जाने, शव का पता लगाने और प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित हैं। परिस्थिति सं. 5 भी एक परिस्थिति नहीं है।समान रूप से, हम इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि परिस्थिति संख्या 7, अर्थात।, कि अभियुक्त को जाँच की निष्क्रियता के लिए लाभ नहीं मिल सकता है, अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए अपने बोझ का निर्वहन करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक टुकड़ा हो सकता है।

ई.

एफ.

जी.

12. जिन परिस्थितियों को गिना जा सकता है, उन्हें इस प्रकार रखा जा सकता हैः

मृतक की मृत्यु उसके घर में हुई जहां वह अकेला रह रहा था, 6 घावों से सदमे और रक्तस्राव के परिणामस्वरूप जैसा कि देखा गया और चिकित्सा साक्ष्य से साबित हुआ।मौत जानलेवा है।

एच.

भी।एक चांदी का हार, सोने की झुमकी और दो मोबाइल फोन जैसी मूल्यवान वस्तुएं भी गायब पाई गईं।ये सामान अभियुक्तों से बरामद किए गए हैं जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। अभियुक्तों में से एक कली के पास से एक चाकू बरामद किया गया।करीबी रिश्तेदार द्वारा पहचानी गई अन्य मूल्यवान वस्तुओं, अर्थात् उसकी पत्नी और उसके बेटे को बरामद कर लिया गया।इस प्रकार बरामद वस्तुओं से, अपीलार्थी से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।13. अभियोजन पक्ष के गवाहों का सबूत है कि पाँच अभियुक्तों में से, अर्थात।, कली, वीरू और विरेंद्र अक्सर मृतक के घर जाते थे।मृतक के घर से लूट/चोरी करने की उनकी योजनाओं के बारे में मृतक की मृत्यु से पहले अभियुक्तों के बीच पीडब्लू-5 द्वारा बातचीत की अधिक सुनवाई एक अन्य परिस्थिति है।

बी.

सी.

अपीलार्थी द्वारा बयान के आधार पर एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया था

14. पीडब्लू12 ने बयान दिया है कि 01.11.2008 पर, अपीलार्थी को गिरफ्तार करने और हिरासत में पूछताछ करने के बाद, उसने (अपीलार्थी) इस आशय का वक्तव्य-पी13 दिया कि जब्त किया गया लूटा गया मोबाइल उसके कमरे की छत पर छिपा हुआ था और वह उसे बरामद कर लेगा।उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी ने लॉफ्ट से लूटा गया मोबाइल ले लिया और उसने ज़ब्ती ज्ञापन तैयार किया।जिरह में वह कहता है कि जब्त किया गया मोबाइल मृतक का था। उन्होंने आगे कहा कि कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कहीं से भी मोबाइल लगाया था और झूठी कार्यवाही की गई है।पीडब्लू 7 की जाँच यह साबित करने के लिए की गई है कि उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, और कली से चाकू की बरामदगी से संबंधित कार्यवाही के 15 से 20 दिनों के बाद, उस व्यक्ति से जाँच की गई, जिसे

उसने सोनू-अपीलकर्ता बताया है।पूछताछ करने पर उसने मोबाइल के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने वक्तव्य-पी13 पर हस्ताक्षर किए हैं [बयान कथित रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत है (इसके बाद संक्षेप में, 'साक्ष्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित)]।वह यह भी स्वीकार करता है कि उसने वक्तव्य-पी14 के आधार पर तैयार किए गए जब्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार, पीडब्लू7 और पीडब्लू12 साबित करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा हिरासत में रहते हुए एक बयान दिया गया था।बयान के आधार पर, अपीलार्थी से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।बरामदगी उनके घर से हुई थी।यह किसी खुली जगह से नहीं था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

283

सोनू @सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

एक-दूसरे से बरामद फोन को निर्णय के अनुरूप साबित किया गया। मोबाइल फोन से संबंधित प्रमाण, जो अपीलार्थी 15 से बरामद किया गया है।मृतक के पीडब्लू 3-बेटे का यह कहना हैः

10.09.2008 पर, उसके भाई ने उसे बताया कि कुछ लोगों ने उसके पिता की हत्या कर दी थी जिससे धारदार हथियार से घायल हो गए थे और अलमारी से सामान/सामान ले गए थे। इसके साथ ही वे उसके पिता के दो मोबाइल फोन भी ले गए।उनके पिता का मोबाइल फोन 940655863866 है जो बीएसएनएल का है। उसी का सिम या तो डबरा या बिलौआ से जारी किया गया है (हम इस फोन से चिंतित नहीं हैं क्योंकि यह फोन किसी अन्य आरोपी से बरामद किया गया है)।

बी.

सी.

आगे जो कहा गया है वह इस प्रकार हैः

एम-नोकिया का दूसरा फोन नंबर 9920121429 वर्गाकार एल. के. डी. लाल एल. ई. डी. से सुसज्जित था जिसमें मोबाइल को चार्ज करते समय एक रोशनी थी।यह मोबाइल उन्होंने तीन महीने पहले बॉम्बे में खरीदा था जब उनके पिता बॉम्बे आए थे ताकि उनके बारे में जानकारी दी

जा सके।हालाँकि, वह अपनी जिरह में यह भी कहता है कि उसने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि जब उसके पिता बॉम्बे आए थे, तो उसने उसे नोकिया बनाने का एक और फोन दिया था, जिसमें मोबाइल चार्ज करते समय एलईडी और रोशनी दिखाई दे रही थी।दूसरे फोन का मोबाइल नंबर प्रदर्शनी डी1 में उल्लेख किया गया था।वह यह समझाने में असमर्थ है कि अगर उसके द्वारा पुलिस को दिए गए बयान में ऐसा बयान नहीं मिलता है तो क्यों।उन्होंने कहा कि वह फिर से यह कारण नहीं बता पा रहे हैं कि पुलिस को दिए गए बयान में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है कि उन्होंने कहा था कि पिता के पास दो सिम थे जिनमें से एक वोडाफोन का था जिसे बॉम्बे से खरीदा गया था।अंत में, वह आगे के क्रॉस में इस प्रकार कहता हैः- "श्री द्वारा प्रतिपरीक्षा। ए. के. श्रोटिया, Sunu@Sunil के लिए अधिवक्ता।

डी.

ई.

एफ.

जी.

मैं यह नहीं बता सका कि मैंने अपने पिता को किस तारीख को मोबाइल फोन दिया था, उपरोक्त मोबाइल मैंने महेश गाहेड़ा से खरीदा था, महेश गाहेड़ा बॉम्बे में रह रहे हैं, वह बांद्रा में रहते थे और उसी की ई. एम. आई. उपहार में दी गई थी।मैं आज यह नहीं बता सका कि मैं इसकी रसीद पेश नहीं कर सकता क्योंकि उपरोक्त मोबाइल मुझे महेश गाहेड़ा ने उपहार के रूप में दिया था।

एच.

वह मोबाइल फोन में उसी के कई सेट के रूप में सौदा करता है।मेरे पिता के पास नोकिया ई. एम. आई. नंबर से बना एक और मोबाइल फोन था, मैं यह नहीं बताऊंगा कि न तो मेरे पास इसकी रसीद है और न ही मैं इसे बना सकता हूं।"

16. पीडब्लू9 मृतक का एक और बेटा है, जिसने मोबाइल फोन की पहचान की है।मोबाइल फोन के संबंध में उनका यही कहना हैःमोबाइल काले रंग के थे और पुराने एंटीना वाले थे।एक मोबाइल ए-9406586386 की बैटरी पर लाल स्याही लिखी हुई है और दूसरी मोबाइल पर पीछे की ओर अंग्रेजी में बड़ा अक्षर 'बी. एल.' लिखा हुआ है और संख्या 97321820 लाल निशान के साथ लिखी हुई है।उनका कहना है कि 8 से 10 दिनों के बाद जब उन्होंने सामान की

जांच की तो उन्हें पता चला कि कुछ सामान चोरी हो गए हैं।वह आगे कहता है कि उन्होंने उस दिन तक मोबाइल की चोरी के बारे में पुलिस को सूचित कर दिया था।वह और उसकी माँ सामान की पहचान करने गए।उसकी माँ को पहले बुलाया गया और वह बाद में चला गया।

बी.

सी.

यह याद रखने योग्य है कि पीडब्लू3 का कहना है कि उसने 3 महीने पहले मोबाइल दिया था जब मृतक बॉम्बे आया था।मृतक अकेला रह रहा था।यह अब पीडब्लू9 है जिसने बैटरी में लिखे नंबर से पहचान की है।

डी.

17. पीडब्लू8 माँ है।वह कहती है कि पहले, अगले दिन, पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने कमरा खोला और उन्होंने देखा कि अलमारी खोली गई थी और सामान बिखरे हुए थे।सामानों में से एक मुर्गी (चांदी से बना हार), सोने की झुमके और नोकिया कंपनी के दो मोबाइल फोन चोरी हो गए।इसके अलावा कोई वस्तु चोरी नहीं हुई।वह कहती है कि लेखों की पहचान उसके द्वारा की गई थी।काली उर्फ गोपाल की ओर से जिरह में वह कहती है कि 11 या 12 तारीख को उसे उन वस्तुओं के बारे में पता चला जो चोरी हो गई थीं।वह कहती है कि पुलिस को दिए अपने बयान में उसने कहा है कि घटना के अगले दिन अलमारी खोली गई थी और सामान बिखरे हुए थे और फिर उसे पता चला कि उसका सामान चोरी हो गया है।उसने अपने चोरी के सामान के संबंध में कहीं भी कोई शिकायत नहीं की थी।वह इस आरोप से इनकार करती है कि उन्होंने सबूत बनाने के लिए घटना के 8 से 10 दिनों के बाद सामान चोरी होने की झूठी कहानी रची है। इस संबंध में, यह देखा जा सकता है कि पीडब्लू 9-पुत्र के साक्ष्य में, उन्होंने कहा है कि अगले दिन निचले कमरे में जाने के बाद, उन्होंने उस दिन अलमारी देखी थी।बाहर सामान पड़ा हुआ था।इसलिए, उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ चोरी हो गया है।उस समय, यह पता नहीं चल सका था कि क्या चोरी हुआ था।8 से 10 ए के बाद

ई.

एफ.

जी.

एच.

उन दिनों, जब उन्होंने सामान की जाँच की, तो उन्हें पता चला कि कुछ सामान चोरी हो गए हैं।

18. अपीलार्थी द्वारा फोन की वसूली ज्ञापन में इस प्रकार कहा गया हैः

नोकिया कंपनी का एक काले रंग का मोबाइल फोन नं. फिनलैंड में बने 5110, एक निश्चित संख्या के बाद, कोड संख्या को 0502182 के रूप में दिखाया गया है, मोबाइल पर लाल स्याही में बी. एल. लिखा गया है और इसकी बैटरी पर 97321820 संख्या लाल स्याही से लिखी गई है।

बी.

19. पीडब्लू3 के अभिसाक्ष्य के अनुसार, फोन की बरामदगी जिसका श्रेय अपीलार्थी को दिया जाता है, का नंबर 9920121429 था।उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में पाया कि एक अन्य सेल फोन नंबर 9928120429, जो उनके बेटे-पीडब्लू3 द्वारा उपलब्ध कराया गया था, गायब पाया गया।इसके बाद, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि ए. एस. आई. डी. पी. शर्मा ने आरोपी को गिरफ्तार किया और 02.11.2008 पर उसके पास से सिम नंबर 97321820 वाला एक मोबाइल फोन बरामद किया।यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि एक मोबाइल फोन सिम संख्या 97321820 के अपीलार्थी से वसूली की गई थी, स्पष्ट रूप से पीडब्लू3 के संस्करण के विपरीत है जिसने फोन खरीदा था या उपहार में दिया था जिसे उसने कथित रूप से अपने पिता को दिया था।यहां तक कि रिकवरी मेमो के अनुसार 97321820 नंबर को मोबाइल फोन की बैटरी पर नंबर के रूप में दिखाया गया है।यह संख्या, जो कथित तौर पर पीडब्लू3 द्वारा प्रदान की गई है, 9920121429 संख्या है।

सी.

डी.

ई.

20. आशीष जैन बनाम मकरंद सिंह और अन्य 1 में, यह निम्नानुसार माना गया हैः

“28. हम विद्वान न्यायमित्र के तर्क में सार पाते हैं कि यह पहचान उचित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थी।पी. डब्ल्यू. 15,16 और 28 जैसे कई जांच किए गए प्रतिज्ञाकर्ताओं की गवाही से यह सबूत मिलता है कि पहचान प्रक्रिया बरामद आभूषणों को समान या समान आभूषणों के साथ मिश्रित किए बिना आयोजित की गई थी।”21. इस मामले में भी मोबाइल फोन के संबंध में केवल दो मोबाइलों को पहचान के लिए रखा गया था और इसकी पहचान कथित तौर पर पीडब्लू8 के अलावा पीडब्लू9 द्वारा देखी गई थी।पीडब्लू13 द्वारा की गई पहचान में,

एफ.

जी.

1 (2019) 3 एस. सी. सी. 770

एच.

यह पता चला है कि दो मोबाइल फोन किसी अन्य मोबाइल फोन के साथ मिश्रित नहीं थे।

22. मोबाइल कार्यवाही की वसूली का इस आधार पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वह मृतक की है?साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 दृष्टान्त (क) के साथ इस प्रकार हैः

बी.

“114. न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है।— न्यायालय विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है, जिसके होने की संभावना है।

सी.

दृष्टांत

न्यायालय यह मान सकता है कि -

(क) कि चोरी के तुरंत बाद जिस व्यक्ति के पास चोरी का सामान है, वह या तो चोर है या उसे यह जानते हुए सामान मिल गया है कि वह चोरी हो गया है, जब तक कि वह अपने कब्जे का हिसाब न दे सके।23. इस न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर इस प्रावधान के दायरे पर विचार किया गया है।सुंदर लाल उर्फ सुंदरा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2 में अभियुक्त और मृतक दोनों को एक साथ देखा गया था।कथित हत्या के बाद, आरोपी मृतक की वस्तु को गिरवी रखने/बेचने के लिए ले गया।इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने यह विचार रखा कि गहने मृतक द्वारा पहने जाने वाले गहने साबित हुए थे।जिस दिन कथित हत्या की गई थी, उसी दिन आरोपी के कब्जे में कैसे आया, इसका कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया था।इस पर न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि परिस्थितियों के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि सही थी।24. दूसरी ओर, सनवंत खान और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य 3 में, एक महांत गणेश दास, जो एक धनी व्यक्ति था, एक अन्य व्यक्ति के साथ श्री गोपालजी के मंदिर में रहता था।दोनों मृत पाए गए।घर में तोड़फोड़ की गई थी और डिब्बे और अलमारी खोल दी गई थी।उस समय यह पता नहीं चल सका था कि अपराध किसने किया था।जाँच के परिणामस्वरूप अपीलार्थी की गिरफ्तारी हुई, और उसी दिन, उसने अपने बारा से एक सोने की खांटी पेश की, जहाँ वह जमीन में दबी हुई पाई गई।एक अन्य आरोपी ने एक चांदी की प्लेट पेश की।न्यायालय ने पाया कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था।कुछ परिस्थितियाँ थीं जो

डी.

ई.

एफ.

जी.

2 ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 28 3 ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 54 ए

एच.

287

सोनू @सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिए गए थे और एकमात्र परिस्थिति दो अनुच्छेदों की वसूली थी।इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

"चाहे जो भी हो, किसी भी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अभाव में, दो अपीलार्थियों के घरों से दो वस्तुओं की अस्पष्टीकृत बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति से, साक्ष्य अधिनियम की धारा ए से धारा 114 के दृष्टान्त को ध्यान में रखते हुए जो एकमात्र निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि वे या तो चोरी की गई संपत्ति के प्राप्तकर्ता हैं या चोरी करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन यह आवश्यक रूप से इंगित नहीं करता है कि चोरी और हत्याएं एक ही समय में हुई थीं।
XXX

बी.

सी.

XXX

XXX

यहाँ, कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सबूत नहीं है, कि डकैती और हत्या एक लेन-देन का हिस्सा थी।यह भी पता नहीं है कि ये घटनाएं रात के किस समय हुईं।अगली सुबह देर से ही पता चला कि महंत और गणपतिया की हत्या कर दी गई थी और लूटपाट की गई थी।हमारे निर्णय में, बीयुमोंथ, सी. जे. और सेन जे. इन-भिखा गोबर बनाम सम्राट, ए. आई. आर. 1943 बॉम 458 (बी) ने सही माना कि केवल यह तथ्य कि एक आरोपी ने हत्या के आभूषणों के तुरंत बाद पेश किया जो हत्या किए गए व्यक्ति पर थे, इस निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आरोपी ने हत्या की होगी।

डी.

ई.

XXX

XXX

XXX

हमारे निर्णय में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि किसी निश्चित परिस्थिति से क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।हालाँकि, जहाँ किसी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ एकमात्र सबूत चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी है और हालाँकि परिस्थितियाँ इंगित कर सकती हैं कि चोरी और हत्या एक ही समय में की गई होगी, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं है कि चोरी की संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति की हत्या की गई थी।संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता है।

एफ.

जी.

(जोर दिया गया) 25।बैजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य 4 में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

4 ए. आई. आर 1978 एस. सी 522

एच.

"14. यह प्रश्न कि क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टान्त (क) के तहत कोई अनुमान लगाया जाना चाहिए, एक ऐसा मामला है जो प्रत्येक मामले के साक्ष्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।इस प्रकार चोरी की गई वस्तु की प्रकृति, मालिक द्वारा उसके अधिग्रहण का तरीका, उसकी पहचान के बारे में साक्ष्य की प्रकृति, जिस तरीके से अपीलार्थी द्वारा उससे निपटा गया था, उसकी वसूली का स्थान और परिस्थितियाँ, बीच की अवधि की अवधि, अपीलार्थी की अपने कब्जे की व्याख्या करने की क्षमता या अन्यथा, ऐसे कारक हैं जिन्हें निर्णय पर पहुंचने में ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

बी.

वह एक ऐसा मामला था जिसमें न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने मामला साबित कर दिया था।

सी.

26. इस न्यायालय ने श्री भगवान बनाम राजस्थान राज्य 5 में अभिनिर्धारित कियाः“11. अपराध के फलों का कब्जा, हाल ही में किए जाने के बाद, इस धारणा के लिए एक मजबूत और उचित आधार प्रदान करता है कि जिस पक्ष के कब्जे में वे पाए जाते हैं, वह वास्तविक अपराधी है, जब तक कि वह किसी भी तरह से अपने निर्दोषता के अनुरूप इस तरह के कब्जे के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है।यह इस स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित है कि यदि इस तरह का अधिकार कानूनी रूप से अर्जित किया गया था, तो वह पक्ष उस तरीके का लेखा दे सकेगा जिसमें इसे प्राप्त किया गया था।उनकी अनिच्छा या किसी भी उचित स्पष्टीकरण को वहन करने में असमर्थता को मजबूत, आत्म-उत्तेजक साक्ष्य के रूप में माना जाता है।यदि पक्ष इस बारे में उचित स्पष्टीकरण देता है कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया, तो अदालतों को अपराध का अनुमान नहीं लगाने के लिए उचित माना जाएगा।अनुमान के इस नियम का बल अपराध से संबंधित कब्जे की पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है और यदि समय का अंतराल काफी है, तो अनुमान कमजोर हो जाता है और विशेष रूप से यदि माल इस तरह के होते हैं जैसे कि सामान्य पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें अक्सर हाथ बदलती हैं।कोई सटीक अवधि तय करना संभव नहीं है।इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में हत्या और डकैती के समान अनुमान लगाए हैं, विशेष रूप से जब आरोपी को इन आपत्तिजनक वस्तुओं के कब्जे में पाया गया था और वह कोई उचित स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं था।इयरभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य [(1983) 2 एस. सी. सी. 330:1983 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 447] एक ऐसा मामला था जिसमें मृतक बचम्मा की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और

डी.

ई.

एफ.

जी.

5 आकाशवाणी 2001 एससी 2342 ए

एच.

289

सोनू @सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

अपीलार्थी को हिरासत में ले लिया गया और उसके कहने पर सोने के गहने और अन्य सामान बरामद किए गए।इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः(पैरा 13)

“यह एक ऐसा मामला है जिसमें हत्या और डकैती एक ही लेन-देन के अभिन्न अंग साबित होते हैं और इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टान्त (ए) के तहत उत्पन्न होने वाली

धारणा यह है कि अपीलार्थी ने न केवल मृतक की हत्या की, बल्कि उसके सोने के आभूषणों की लूट भी की, जो उसी लेन-देन का हिस्सा हैं।"

बी.

पी. डब्ल्यू. 5, जिन्होंने आध्यात्मिक परिवर्तन की सुनवाई की

सी.

27. इस मामले में दोनों अदालतों ने स्पष्ट रूप से पीडब्लू5 की गवाही से ताकत हासिल की है। पीडब्लू5 एक ऐसा व्यक्ति है जिसका साक्ष्य वस्तुतः एकमात्र गवाही है जिस पर चोरी/डकैती करने की साजिश को साबित करने के लिए भरोसा किया जाता है।यह विचार करने योग्य है कि उसने न्यायालय में क्या बयान दिया है।वह और मोहन शर्मा (जो पी. डब्ल्यू. 1 हैं और मुकर गए हैं) ने विरेंद्र कुशवाह (विरेंद्र इस मामले में अभियुक्तों में से एक हैं) के घर पर विरेंद्र, वीरू धीमर और तीन अन्य व्यक्तियों को बैठे और बात करते हुए पाया।जब वे (पीडब्लू1, पीडब्लू5) गेट के सामने से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बात करना बंद कर दिया है।फिर वे थोड़ा आगे बढ़ गए।उन्होंने बताया कि ये गुंडे/बदमाश (बदमाश) बाहरी प्रतीत होते हैं।आइए हम उनकी बातचीत को सुनें।उन्होंने सुना, विरेंद्र कुशवाह और वीरू उन तीन लोगों से कह रहे थे कि भरोसीलाल एक बूढ़ा आदमी है और उसके पास बहुत पैसा है और वह अकेला रह रहा है।वह और वीरू यहीं रहेंगे।कली-अपीलार्थी और हरिओम चोरी करने के लिए मृतक के घर जाते थे।फिर वे वहाँ से चले गए।अगले दिन पता चला कि किसी ने भरोसीलाल की हत्या कर दी है।अगले दिन शाम को उन्होंने किसी को बताने से परहेज किया क्योंकि वे गुंडे थे।बाद में, उसने भरोसीलाल के बेटे, जिसका नाम अभय है, को बताया कि इन पाँचों अभियुक्तों ने हत्या की है।उन्होंने उनकी पहचान की।क्रॉस में, वह कहता है कि उसका घर उस जगह से बहुत दूर है जहाँ गुंडे बातचीत कर रहे थे।16 वें दिन जब पुलिस पूछताछ के लिए आई तो उसने उपरोक्त सभी बातें पुलिस को बता दीं। उसने खुद पुलिस स्टेशन जाकर नहीं बताया।वह कहता है कि उसने पुलिस स्टेशन में तीनों व्यक्तियों (जिसमें स्पष्ट रूप से अपीलार्थी भी शामिल है) को देखा है।16.10.2008 पर, जब उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, उस समय तीनों व्यक्ति बैठे थे।[यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी पीडब्लू-12 द्वारा केवल 01.11.2008] पर की जाती है।उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने आरोपी व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में भी नहीं देखा था।पुलिस ने

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

कार्यालय में पूछताछ की और इन तीन अभियुक्त व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया।पुलिस अधिकारियों ने उसे वहां मौजूद तीन अभियुक्तों को भी नहीं दिखाया।वह आगे कहता है कि जब अभियुक्त व्यक्तियों को जेल भेजा गया था, तो एस. आई. ने उसे वाहन में सवार अभियुक्त व्यक्तियों को दिखाया था।तीनों के नाम बताए गए और तीनों की पहचान कर ली गई। वह आगे कहता है कि उसे तीनों व्यक्तियों के नामों की जानकारी तब मिली थी जब पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया, यानी 16.10.2008 से 8 से 10 दिनों के बाद।फिर, वह शेष तीन व्यक्तियों के नाम पर आया।एक अन्य आरोपी की ओर से पहले की जिरह में, उसने अपने बयान में कहा है कि जब तक पुलिस उसका बयान दर्ज नहीं करती।उन्हें उन तीन व्यक्तियों के निवास के बारे में पता नहीं था जिनके नाम उन्होंने बताए हैं, सिवाय वीरेंद्र और वीरू के, लेकिन वे बाहरी लग रहे थे।वे आगे कहते हैं कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि जो लोग विरेंद्र के घर में बैठे थे, क्या वे एक-दूसरे का गलत नाम लेकर बोल रहे थे।वह, इसमें कोई संदेह नहीं है, कहता है कि विरेंद्र के घर में रोशनी थी।उसी का प्रकाश बिखरा हुआ था।28. अभियुक्त व्यक्ति से किसी वस्तु की बरामदगी के मामले में जब उस पर चोरी के अलावा अन्य अपराध करने का भी आरोप लगाया जाता है (इस मामले में हत्या), तो परीक्षण क्या हैंः

बी.

सी.

डी.

आई. सबसे पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि चोरी और हत्या एक लेनदेन का हिस्सा है।परिस्थितियों से संकेत मिल सकता है कि चोरी और हत्या एक ही समय में की गई होगी। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं है कि चोरी की संपत्ति पर कब्जा करने वाला व्यक्ति हत्यारा था [संवंत खान (ऊपर देखें)];

ई.

ii.चोरी की गई वस्तु की प्रकृति;

एफ.

iii.मालिक द्वारा इसके अधिग्रहण का तरीका;iv. इसकी पहचान के बारे में साक्ष्य की प्रकृति;

v. जिस तरीके से अभियुक्त द्वारा इससे निपटा गया था;vi. इसके पुनर्प्राप्ति का स्थान और परिस्थितियाँ;vii. बीच की अवधि की अवधि;

जी.

viii.अभियुक्त की अपने अधिकार की व्याख्या करने की क्षमता या अन्यथा [बैजू (ऊपर) देखें]।

29. इस मामले में, उपरोक्त परीक्षणों को लागू करते हुए, हम निम्नानुसार पाते हैंः

एच.

291

सोनू @सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ए.

I. अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह मोबाइल के कब्जे में कैसे आया।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद संक्षेप में 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित) की धारा 313 के तहत पूछताछ में उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

II. जहाँ तक मध्यवर्ती अवधि की लंबाई का संबंध है, वसूली 02.11.2008 पर प्रभावित हुई थी जबकि घटना की तारीख 08.09.2008 है।इसका मतलब है, दो महीने से भी कम का अंतराल।अपीलार्थी की गिरफ्तारी 01.11.2008, यानी वसूली से एक दिन पहले की गई थी;

बी.

III. जहाँ तक वस्तु की प्रकृति का संबंध है, यह एक मोबाइल फोन था जो केवल डिलीवरी द्वारा स्थानांतरित करने में सक्षम था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें एक सिम होगा जो फोन को पिछले मालिक या कब्जे वाले व्यक्ति से जोड़ सकता है।हालाँकि, यह भी सामान्य ज्ञान है कि यह उस व्यक्ति के लिए खुला हो सकता है, जिसके पास मोबाइल है, उसे एक नए सिम से लैस करने के लिए;

सी.

डी.

IV. जहाँ तक पहचान का संबंध है, हम पहले ही साक्ष्य की प्रकृति को देख चुके हैं।

V. यह विवाद में नहीं है कि दोनों मोबाइल फोन रखे गए थे और वे किसी भी अन्य समान दिखने वाले मोबाइल फोन के साथ मिश्रित नहीं थे।

ई.

30. अपीलार्थी और अन्य पर आई. पी. सी. की धारा 34 की सहायता से अपराधों के तहत आरोप लगाए गए थे। इस मामले में विचारण न्यायालय का निष्कर्ष है कि डकैती करने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी।जहाँ तक धारा 34 का संबंध है, यह प्रत्यावर्ती आपराधिक दायित्व के सिद्धांत की घोषणा करता है।धारा की आत्मा, और वह सिद्धांत जो उसमें किसी अन्य के कार्यों के लिए आपराधिक दायित्व को रेखांकित करता है, एक अपराध करने का साझा इरादा या सामान्य इरादा है।साझी मंशा उसी अपराध के लिए होनी चाहिए जिसके लिए अभियुक्त पर

आरोप लगाया गया है।इस मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि गला घोंटकर मौत का कारण बनने का आरोप है, लेकिन निष्कर्ष यह है कि मौत चाकू से लगी चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी।चाकू, जाहिरा तौर पर, सह-आरोपी-कली द्वारा ले जाया गया था और इस्तेमाल किया गया था।उससे, वास्तव में, चाकू की बरामदगी भी की गई थी जो हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालने का और भी कारण बन जाती है कि अपीलार्थी को उन आरोपों के लिए दोषी ठहराना पूरी तरह से असुरक्षित होगा जिनके लिए वह धारा सहित दोषी पाया गया है।

एफ.

जी.

एच.

292

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 4 एस सी आर।

302 आई. पी. सी. की धारा केवल मोबाइल फोन की बरामदगी पर आधारित है जहां बरामदगी स्वयं संदेह और संदेह से ग्रस्त है।हम, इस संबंध में, हरदेव सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 6 में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार पर ध्यान दे सकते हैं:-

"9. उच्च न्यायालय का यह विचार कि विशेष अपराध नहीं करने वाले व्यक्ति को भी दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से उस अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है, यदि अधिनियम का ऐसा कार्य ऐसा था जो आम इरादे को आगे बढ़ाने में दिखाया जा सकता था जो आवश्यक रूप से प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा नहीं किया गया था, सही नहीं है।सामान्य इरादा विशेष अपराध को करने का होना चाहिए, हालाँकि वास्तविक अपराध किसी भी समान इरादे वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।तभी दूसरों को दोषी ठहराया जा सकता है।

बी.

सी.

(जोर दिया गया) 31।अरुण बनाम पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु 7 द्वारा राज्य में, यह न्यायालय उस मामले पर विचार कर रहा है जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ हत्या का अपराध करने के मामले में आई. पी. सी. की धारा 34 लागू करने की मांग की गई थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें कोई आरोप या सबूत नहीं था कि उसने हत्या की थी।इस न्यायालय ने धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य 8 के निर्णय में निर्धारित परीक्षणों का उल्लेख किया और हम उक्त निर्णय के पैराग्राफ 14 और 15 का उल्लेख करेंगे।वही नीचे पढ़ा गया है:"14. ऐसा हो सकता है कि जब कुछ लोग एक छोटे से अपराध को करने के लिए पूर्व-निर्धारित योजना

के साथ शुरुआत करते हैं, तो वे छोटे अपराध को करने के दौरान बड़े अपराध को करने के लिए भी समझ में आ सकते हैं।इस तरह की समझ उन व्यक्तियों के आचरण से प्रकट हो सकती है जिन्हें मुख्य अपराधी के कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए या किसी अन्य दोषपूर्ण साक्ष्य से लेकिन आचरण या अन्य साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि उस ओर से संदेह के लिए कोई जगह न छोड़ें।15. प्रत्यावर्ती दायित्व निर्धारित करने वाले आपराधिक न्यायालय को मुख्य अपराधी और उसके साथियों के मन की पूर्व बैठक के रूप में खुद को संतुष्ट करना चाहिए, जिन्हें पूर्व द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के संबंध में रचनात्मक रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।वहाँ है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

हमारे ज्ञान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह बताता हो कि एक व्यक्ति

6 ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 179 7 2008 (15) एस. सी. सी. 501 8 1978 (4) एस. सी. सी. 440 ए

एच.

293

सोनू @सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

मुख्य अपराधी के साथ प्रत्येक कार्य के संबंध में अपना इरादा साझा करता है जो बाद वाला अंततः कर सकता है।

साझा इरादे का अस्तित्व या अन्यथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।मुख्य अपराधी और उसके साथियों का किसी भी व्यक्ति से निपटने का इरादा जो झगड़े को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, मुख्य अपराधी के साथ आने वाले व्यक्तियों के आचरण या किसी अन्य स्पष्ट और ठोस साक्ष्य से स्पष्ट होना चाहिए।ऐसी सामग्री के अभाव में, साथी या साथी को मुख्य अपराधी द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए उचित रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।" (जोर दिया गया)

बी.

सी.

32. जहाँ तक सामान्य इरादे का अनुमान लगाया जा रहा है, हम बृजलाल पी. डी. में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान देते हैं। सिन्हा बनाम बिहार राज्य 9 1998 (5) एस. सी. सी 699:

"11.....कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के दौरान दूसरे द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के तहत केवल तभी उत्पन्न होगा जब ऐसा आपराधिक कार्य उन व्यक्तियों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में किया जाता है जो अपराध करने में शामिल होते हैं।सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण, निश्चित रूप से, प्राप्त करना मुश्किल होगा और इस तरह के इरादे का अनुमान केवल परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है।लेकिन एक सामान्य इरादे का अस्तित्व किसी दिए गए मामले में स्थापित परिस्थितियों से एक आवश्यक निष्कर्ष होना चाहिए।एक सामान्य इरादे का अनुमान केवल पक्षों के कार्यों से ही लगाया जा सकता है।जब तक सिद्ध परिस्थितियों से आवश्यक निष्कर्ष के मामले के रूप में एक सामान्य इरादा स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक अभियुक्त व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए। धारा 34 के प्रयोजनों के लिए तैयार किए जाने वाले सामान्य इरादे के निष्कर्ष के लिए, मामले के साक्ष्य और परिस्थितियों को बिना किसी संदेह के यह स्थापित करना चाहिए कि विभिन्न अभियुक्तों के बीच मन की बैठक और विचारों का मिश्रण हुआ था और इसके अभियोजन में, अभियुक्त व्यक्तियों के स्पष्ट कार्य ऐसे निकले जैसे कि एक मन के आदेश का पालन करते हुए। यदि साक्ष्य के आधार पर, सामान्य इरादे में किसी विशेष अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में संदेह है, तो संदेह का लाभ उक्त अभियुक्त व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।...."

डी.

ई.

एफ.

जी.

9 1998 (5) एससीसी 699

एच.

33. गिरिजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 10 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"9. ..... समान इरादे के आरोप को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, यह स्थापित करना होगा कि उस अपराध को करने के लिए सभी अभियुक्त व्यक्तियों की योजना या मन की बैठक थी, जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है, चाहे वह पूर्व-निर्धारित हो या पल भर में; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध के आयोग के समक्ष होना चाहिए।...."

बी.

(जोर दिया गया) 34।इस प्रकार, इस मामले में, जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, उसके खिलाफ साक्ष्य में अनिवार्य रूप से मोबाइल फोन की बरामदगी शामिल है और उस संख्या के बारे में विसंगति है जिसे हमने नोट किया है।पीडब्लू5 ने अपीलार्थी का नाम नहीं लिया है। अनिवार्य रूप से पीडब्लू5 के साक्ष्य और वसूली पर यह मानने के लिए भरोसा किया जाता है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो गई है।हमने पीडब्लू5 की गवाही पर ध्यान दिया है। अपीलार्थी का उल्लेख उन व्यक्तियों में से एक के रूप में नहीं किया गया है जो मृतक के पिता से मिलने जाते थे, हालाँकि अन्य तीन अभियुक्तों का नाम लिया गया था।, वीरू, कल्ली और विरेंद्र। अपीलार्थी की शिकायत है कि अभियुक्त के लिए कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी।हमने उल्लेख किया है कि पीडब्लू5 ने क्या पदच्युत किया है।

सी.

डी.

ई.

35. इस मामले के तथ्यों में, हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखना सुरक्षित नहीं होगा।वह संदेह के लाभ का हकदार होगा।हम अपील की अनुमति देते हैं।जहाँ तक अपीलार्थी से संबंधित है, विवादित निर्णय अपास्त करना दिया जाएगा और वह बरी हो जाएगा।अपीलार्थी का जमानत मुचलका खारिज हो जाएगा।यदि किसी अन्य मामले के संबंध में उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा।

एफ.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

10 2004 (3) एस. सी. सी. 793

एच.